न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 43/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/87

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दलपतसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली		1. ग्राम पंचायत माण्डावास जरिये सरपंच 2. स्वं. सरदार सिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपुत निवासी माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली 2/1 मांगुसिंह पुत्र स्वं. सरदार सिंह 2/2 मोड़सिंह पुत्र स्वं. सरदार सिंह निवासीगण ग्राम माण्डवास तहसील रोहट जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशराम पटेल।
2. अप्रार्थी संख्या 2/1, 2/2 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/10/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत माण्डावास द्वारा मिसल संख्या 151/61–62 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 स्व. सरदार सिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 22.05.1961 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब करने पर ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड का प्रार्थी अपने पिता के जीवन काल से ही उपयोग उपभोग करता आ रहा है, जिस पर प्रार्थी का रहवासीय कब्जा सुदा मकान है लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत माण्डावास के तत्कालीन सरपंच के साथ मिलावट करते हुए पंचायत राज नियमों के विरूद्ध जाकर जैर निगरानी पटटा जारी करवा लिया, जिसकी आड में अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थी के रहवासीय मकान पर कब्जा करने को आमदा है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पेश नहीं किया और न ही नक्शा शुल्क जमा करवाई गई तथा पंचों द्वारा न तो कोई मौका देखा गया व न ही आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने बिना कोई पत्रावली कायम किये नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिस पर उपसरपंच तथा सचिव के हस्ताक्षर ही नहीं है। अतः ग्राम पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा बिना किसी प्रस्ताव के विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में रेकर्ड यथा मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा बुक ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह जाहिर होता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा विधिक त्रुटिया एवं पंचायती राज नियमों की अवहेलना हुई है, ऐसे में जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत माण्डावास द्वारा मिसल संख्या 151/61–62 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 स्व. सरदार सिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 22.05.1961 के विरूद्ध पेश की गई। जैर निगरानी के सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के संलग्न जैर निगरानी पट्टा संख्या 15 दिनांक 22.05.1961 की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त पट्टे पर प्रार्थी दलपतसिंह का अंगुष्ठ निशान है जिससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी, पट्टा जारी होने के समय से ही थी तथा प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी, पट्टा जारी होने के लगभग 58 वर्ष से अधिक समय के बाद प्रस्तुत की गयी है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों व दौराने बहस, जैर निगरानी लगभग 58 वर्ष से अधिक समय के बाद प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उक्त देरीना का कोई ठोस कारण तथा स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। इसलिये उक्त देरीना को कण्डोन किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2015(4) DNJ (Raj.) 1853 Renu Devi vs State of Rajasthan & Ors में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–24 वर्ष बाद आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती–युक्तियुक्त समय में पक्षकार को निगरानी पेश करनी चाहिये और सिविल कार्यवाही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहिये–निर्णीत, निगरानी क्षेत्राधिकारिता का उपयोग करने में अतिरिक्त कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है–आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। याचिका खारिज की है। यह न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हुबहु चस्पा होता है। इसलिये जैर निगरानी म्याद के बिन्दु पर श्रवणार्थ ग्रहण करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत, माण्डावास द्वारा मिसल संख्या 151/61–62 की पालना में स्वं. सरदार सिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 22.05.1961 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत, माण्डावास को माफिक निर्णय पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली